

Act No. 49 of 2013

2013 का विधेयक संख्याक 26

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार संक्षिप्त नाम (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।
2. हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 की धारा 3 में, “दो” धारा 3 का शब्द के स्थान पर “पाँच” शब्द रखा जाएगा।
संशोधन।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

मैं, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अर्थ के अन्तर्गत एक धन विधेयक है।

शिमला/ट्रॉनिक

अध्यक्ष।

अध्यक्ष

हिमाचल प्रदेश

विधान सभा, शिमला

मैं इस विधेयक पर अनुमति देती हूँ

शिमला-171002.

दिनांक : २० - ८ - २०१३

उपर्युक्ता वा

राज्यपाल।

राज्यपाल

हिमाचल प्रदेश

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 26 of 2013

**THE HIMACHAL PRADESH WAR AWARDS (AMENDMENT)
BILL, 2013**

(As Passed by the Legislative Assembly)

THE HIMACHAL PRADESH WAR AWARDS (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 3.

**THE HIMACHAL PRADESH WAR AWARDS (AMENDMENT)
BILL, 2013**

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972
(Act No. 9 of 1972).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh War Awards Short title.
(Amendment) Act, 2013.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972, Amendment
of section 3.
for the word “two”, the word “five” shall be substituted.

मैं, “हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 26)” के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डिप्टी राज्यपाल
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने “हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 26)” के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चंद्रगढ़ आनुसार
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।